

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./जी/ 1150

धमतरी, दिनांक: 17/02/2022

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग धमतरी (छ0ग0)

स्मरण पत्र

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widening and Strengthening including culverts and Bridge of Keregaon – Gattasilli – Birgudi Road area 25.147 Ha. Regarding.

- संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्रमांक FC-II/CH-111/2019-NGP/6723 दिनांक 15.06.2020
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-666/80 दिनांक 20/01/2022
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/4136 दिनांक 08/09/2020
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./जी/7291 दिनांक 13/12/2021

⊗ ⊗ ⊗

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (01) के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कैरेगाव-गट्टासिल्ली-बिरगुडी मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण रकबा-25.147 हे. का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का अंतिम चरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर प्रदान की गई है। इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक (03) के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर छत्तीसगढ़ को संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना राशि रु. 75,65,000/- तैयार कर प्रेषित किया गया है। वर्तमान में वरिष्ठ कार्यालय से वन्यप्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक (04) के द्वारा आपको संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना राशि रु. 75,65,000/- के अनुसार वर्षवार कार्य का विवरण प्रेषित करते हुए योजना के संशोधन उपरांत शेष वांछित राशि रु. 25,00,000/- जमा कर राशि जमा उपरांत चालान की पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) के संदर्भित पत्र क्रमांक (02) छायाप्रति संलग्न, के द्वारा संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की शेष राशि रु. 25,00,000/- आवेदक विभाग द्वारा जमा किये जाने के उपरांत ही वन भूमि व्यपवर्तन किये जाने के संबंध में स्पष्ट लेख किया गया है। संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना हेतु जमा की जाने वाली शेष वांछित राशि की गणना निम्नानुसार है-

संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की राशि	75,65,000/-
पूर्व में वन्यप्राणी संरक्षण योजना की राशि	50,65,000/-
जमा की जाने वाली शेष वांछित राशि	25,00,000/-

अतः वन्यप्राणी संरक्षण योजना की शेष राशि रु. 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) अविलंब कैम्पा मद में 'ई-चालान' के माध्यम से जमा कर चालान की पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। चूंकि कैम्पा A.P.O. वर्ष 2022-2023 में उक्त कार्य सम्मिलित किया गया है, राशि के अभाव में कार्य किया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न :- संदर्भित पत्र (02) की छायाप्रति।

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी

क्रमशः